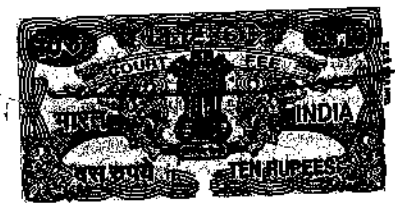

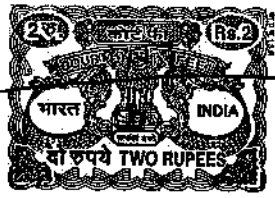

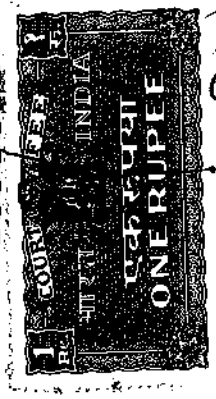

37

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–विदिशा

R-2311-I/14

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह निवासी नगधा तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह यादव

2– कैलाश पुत्र श्री बुन्देल सिंह यादव

3– भगवान सिंह पुत्र स्व. भैरो सिंह

4– राजमल सिंह पुत्र स्व भैरों सिंह

5– रघुनाथ सिंह पुत्र श्री भैरों सिंह

दलसिंह मृत विधिक वारिसान

6– बहादुर पुत्र श्री स्व. श्री दलसिंह

7– प्रदीप पुत्र श्री स्व. दलसिंह

निवासीगण नगधा तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र)

8– ललिताबाई पत्नी संग्राम सिंह पुत्री स्व. श्री दलसिंह निवासी बावरी तहसील नटेरन जिला बिदिशा

9– नारायणी बाई बेवा स्व. श्री दलसिंह

10– बलवंत सिंह पुत्र स्व. श्री माधौसिंह

11– मालम सिंह पुत्र स्व. श्री माधौसिंह

12– गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री माधौसिंह

13– दाखा बाई पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्री स्व. श्री माधौसिंह निवासीगण नगधा तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र)

14– दुर्गेश पत्नी बम्ह पुत्री स्व. श्री माधौसिंह निवासी हिनोतिया तहसील बेरसिया जिला भोपाल (म.प्र)

15– राजमोहन पुत्र श्री गोपाल सिंह यादव निवासी नगधा तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र)

16– दलिपा पुत्र श्री हटुआ निवासी नगधा तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र)

.... अनावेदकगण

श्री .... अभि. द्वारा आज दि. 30.7.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.7.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

30/7/14

न्यायालय तहसीलदार नटेरन द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–13 /2012–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी2311/एक/2014 जिला– विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-9-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार नटेरन के प्रकरण क्रमांक 08/अ–13/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक चन्द्रभान पुत्र कल्याण सिंह द्वारा ग्राम नगदा में स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 86,84,16 मैनरोड से एक रास्ता आराजी नं.17,21,22,83, 84, 24,71,70 की मेड से होकर आराजी नं.102 पर समाप्त होता है। उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा पटाकर पगडडी रास्ता बना दिया है तथा अतिक्रमण कर लिया है। इस कारण वह एवं अन्य कृषक रास्ते से निकलकर अपने खेतों पर कृषि यंत्र नहीं पहुंचा पा रहे	

है, इसलिए उक्त रास्ते को खुलवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार, नटेरन द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–13/12–13 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.04.2014 से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नटेरन के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर प्रस्तुत जबाव पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। आवेदक द्वारा अपने जबाव में उल्लेख किया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 86,84,16 व सर्वे क्र.17,21,22,83,84,24,71,70 की मेड से सर्वे क्र.102 पर जाने वाले रास्ते को बन्द करने का आरोप आवेदक पर लगाया गया है जबकि उक्त भूमि पर जाने हेतु पूर्व से शासकीय रास्ता मौजूद है, जिस

अनावेदकगण के अलावा अन्य कृषक आते-जाते हैं व्यक्ति विशेष लाभ के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जहाँ तक राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के स्थल निरीक्षण किये जाने का उल्लेख है तो वह वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि स्थल पर ऐसा कोई पंचनामा अथवा स्थल जाँच आवेदक की उपस्थिति में नहीं की गयी है। उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार नटेरन द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार नटेरन द्वारा प्रकरण क्रमांक08/अ-13/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2014, त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य